

प्रेपक,

जी०के० टण्डन,  
राहत आयुक्त एवं सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

जिलाधिकारी,  
सिद्धार्थनगर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ, दिनांक 30 मई, 2008

विषय: वर्ष 2007 में बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को खाद्यान्न वितरण पर व्यय हुई धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-05/राहत लिपिक/बाढ़-2007/2008-09, दिनांक 07 अप्रैल, 2008 के कम में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2007 में बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को खाद्यान्न वितरण पर व्यय हुई धनराशि ₹० 77,46,746/- (रुपये सत्त्वतर लाख छियालिस हजार सात सी छियालिस मात्र) की धनराशि श्री राज्यपाल महोदय आपके निर्वतन पर रखने की स्वीकृति सह व्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या -51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-आपदा राहत निधि-800-अन्य व्यय-03- राष्ट्रीय आपदा निधि से व्यय -42-अन्य व्यय" के नामे ढाला जायेगा।

3. आपदा राहत निधि की धनराशि शासनादेश संख्या- जी०आई०-134/ 1-11- 2007-46/97 दिनांक 31 जुलाई, 2007 में उत्तिरिक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार तत्काल व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। आपदा राहत निधि की धनराशि का आहरण एवं वितरण केवल दैवी आपदाओं जैसे -अग्निकांड, औद्धी, तूफान, चक्रवात, ओलावृष्टि, भूस्खलन, बादल फटने, आकाशीय विजली अतिवृष्टि, बाढ़, सूखा आदि के फलस्वरूप घटित घटनाओं के लिये ही किया जायेगा। सामान्य दुर्घटनाओं -सहक दुर्घटना, रेल दुर्घटना, दंगा फसाद,

विद्युत आदि के कारण घटित घटनाओं के लिये इस धनराशि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा।

4. उक्त धनराशि का व्यय प्रस्तर -3 में सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 31 जुलाई, 2007 में निर्धारित मानकों के अनुसार ही किया जायेगा। यदि एक व्यक्ति कोई मदों में राहत अनुमत्य है तो सबको मिलाकर एक ही चेक के माध्यम से सहायता प्रदान की जाय। शासनादेश संख्या-4815 / 1-10-2007-14 (45) / 2003, दिनांक 06 दिसम्बर, 2007 के अनुसार दैवी आपदा की सभी मदों में दिये जाने वाले ₹0 1000/- से कम धनराशि का वितरण बियरर चेक के माध्यम से तथा ₹0 1000/- या इससे अधिक की धनराशि का वितरण एकाउण्ट पेड़ी चेक के माध्यम से किया जाय।

5. राहत धनराशि का वितरण गाँवों में व्यापक प्रचार-प्रसार के बाद पर्यंक्षीय अधिकारियों एवं स्थानीय जन-प्रतिनिधियों की उपरिधिति में किया जायेगा। राहत की धनराशि की प्राप्ति एवं व्यक्ति की पहचान के प्रमाण-पत्र के रूप में रसीद पर स्थानीय लेखपाल एवं ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर प्रदान कर इसे अभिलेख में रखा जाय। वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाय और ग्रामसभा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़कर सुनाया भी जाय।

6. कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इति कर ली जाती है। यह रिधि उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा उत्तरानुसार करना, तदनुसार विभाग का धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुप्रयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

7. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या 1693 / 1-11-2006-रा०-११ दिनांक 20 जून, 2006 द्वारा प्रभारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते सम्भावित हों तो उन्हें दिनांक 25 मार्च, 2009 तक शासन को अवश्य सूचित करते हुये वित्तीय वर्ष के अन्त में समर्पित कर दिया जाय।

8. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड -5  
भाग-1 द. जूलाय-369 एवं के अधीन निर्वाचित प्रारूप संख्या -42 आई में शासन  
को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

9. दैवी आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित  
लेखा जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा  
हस्ताक्षरित किया जाय।

10. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन  
कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समझानित एवं  
सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(जी) ० के ० टप्पन  
राहत आयुक्त एवं सचिव

संख्या : 2813 / 1-10-2008-12(26) / 2007 तददिनाक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रति आवश्यक कार्यकारी हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा) / महालेखाकार (आडिट प्रथम), उ०प्र० इलाहाबाद।
2. ग. उलायुक्त, बस्ती मण्डल।
3. आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
4. निर्देशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
6. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5।
7. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/लेखाकार राजस्व अनुभाग-10 / राजस्व  
अनुभाग- 6 / 11 / राहत आयुक्त की वेबसाइट के उपयोग हेतु।
8. चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 की धनावंटन पत्रावली में रखने हेतु।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(राज किशोर यादव)  
विशेष सचिव